निर्णय अज अदालत बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला – राजसमन्द

प्रकरण सं. – 95/2014 रे0व0 निर्णय दिनांक –30.04.2015

1. श्री उदयलाल पिता रूपाजी जाति खटीक आयु 78 निवासी पिपलीनगर तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पुत्र रूपाजी जाति खटीक आयु 70 निवासी पिपलीनगर तहसील भीम
2. श्री खेमराज पुत्र रूपाजी जाति खटीक आयु 65 निवासी पिपलीनगर तहसील भीम हाल निवासी सुरज दरवाजा खटीक मोहल्ला तहसील देवगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादी का वाद–पत्र इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम बग्गड पटवार मण्डल बग्गड तहसील भीम में वर्णित आराजियात निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा	किस्म
29	3744/3004	05–04–00	बारानी

कुल किता 1 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा

यह कि वाद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर उपभोक्त करते चले आ रहे है। आ0ख0न0 3744/3004 में वादी उदयलाल का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 श्री खेमराज का 1/3 हिस्सा होकर काबिल काश्त करते आ रहे है।

उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजियात आज तक रिकार्ड में बिना बटे चले आ रहा है। प्रत्येक खातेदार अपनी अपनी सहुलियत से रिकाडेर्ड खातेदार मुताबिक उसका उपयोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजियात का मापदण्ड माप व सीमांकन (मीन्टस एवं बाउण्डस) विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है।

यह कि वादी कई बार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को उपरोक्त आराजियात का विधिवत बंटवारा अपने अपने हिस्से की भूमि को अपने अपने खाते में दर्ज किया जावे।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत् दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को मय समन के नोटिस दिये गये। बाद सूचना के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित होकर दोनो मे आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम का जवाब लिया जाकर शामील पत्रावली किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया अतः ग्राम बग्गड के विवरण आराजियात खसरा संख्या नम्बर 3744/3004 में वादी उदयलाल का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 श्री खेमराज का 1/3 हिस्से अनुसार मौके पर बंटवारा किया जावे।

पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि मौके पर वादी व प्रतिवादीगणो के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का माफिक दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कर प्रस्ताव दो प्रतियों में पेश करें। वादी वादग्रस्त भूमि के वार्षिक लगान के पांच गुना राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करे। प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम, जिला– राजसमन्द